अरेराज, पूर्वी चम्पारण। आदेश दिनांक 11.01.2024

दिनांकः 11.01.2024 वाद पुकारा गया प्रस्तुत । मामले वादी की तरफ से दिनांक 10.01.2020 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि प्रतिवादी ने अपना बयान तहरीरी दाखिल किया जिसमें इस बात को कहा है कि चंद जायदाद बिहार सरकार द्वारा नहर बनाने हेतु अर्जित किया गया है। जबकि उसे भी सयतकरारी जायदाद बना दिया गया है यह कि सयतकरारी का वह जायदाद जो कि सरकार द्वारा नहर बनाने हेतु अर्जित है उस जमीन का उतना हिस्सा अर्जी नालिस से कलमजद करना लाजमी है । यह कि अर्जी दावी के दफा न0 6 में चंद बयानात कुर्सीनामा के निश्वत गलत दर्ज हो गया है उनका भी मरम्मत लाजमी है यह कि आवेदन मरम्मती औपचारिक प्रकृति का है अतः स्वीकृत करने की कृपा करे।

प्रतिवादी सं0 14, 19, 20 ने अपने प्रतिउत्तर में कहा कि मामले में वादी द्वारा दिया गया संशोधन आवेदन केवल लाभ लेने के लिए है और वादी नया केस बनाना चाहता है तथा अपने पुराने स्वीकृति को वापस लेना चाहता है। यह कि वादी के संशोधन आवेदन को देखने से एक बात स्पष्ट होती है कि मामले में वादी समूचे वाद की प्रकृति में परिवर्तन करना चाहता है अतः आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन और प्रतिवादीगण के प्रतिउत्तर का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रकम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के आवेदन और प्रतिउत्तर का अवलोकन किया। मामले में वाद 6 वर्ष पुराना है और मामले में अभी वाद बिंदू का गठन नहीं हुआ है । प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा दिये गये संशोधन विवादग्रस्त तकरारी जमीन से संबंधित वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन हेतु आवश्यक हैं और इससे दोनों ही पक्षों को किसी तरह का कोई क्षति होने की संभावना नहीं है और न ही इससे वाद की प्रकृति में कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा । अतः वादी का दिनांक 10.01.2020 का संशोधन आवेदन 3000रु खर्चे जो मोतिहारी न्यायालय के नजारत में जमा किया जाएगा। इस निर्देश के साथ कि वादी निर्धारित कानूनी समय सीमा के भीतर मरम्मती संबंधी सभी कार्रवाई पूर्ण करें , वादी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन **को स्वीकृत** किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश तृतीय
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।